न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , अजमेर

पीठासीन अधिकारी डॉ0 आर्तिका शुक्ला आई.ए.एस

राजस्व प्रकरण संख्या– 122/2008

एम डिसूजा बनाम श्रीमति सायरी व अन्य

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

आदेश दिनांक 06.2.2020

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के वकिल उपस्थित। आवेदन अस्थाई निषेघाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के वकिल ने आवेदन पत्र में वर्णित कथनो को अपनी बहस में बताते हुए विशेष रूप से कथन किया कि विवादित भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 1709 कुल रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा ग्राम सोमलपुर जिसका हाल सेटिलमेंन्ट में नया नम्बर 1971 बना है जिसे प्रार्थी ने उक्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार चन्दा व रहिमा जो कि अप्रार्थीगण के पूर्वज है उनसे बटजरिऐ रजिस्र्डड बयनामा खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है किन्तु आराजी को गलत तौर पर बिना किसी आधार के कस्टोडियन भूमि दर्ज कर दिया गया है व इस गलत इन्द्राज के आधार पर कस्टोडियन विभान ने आराजी मुतनाजा को अलोट कर अलोटिगण व उनके खरीदारो के नाम दर्ज करने जा रहे है जबकि कस्टोडियन विभाग ने विधिवत तौर पर भूमि का आवंटन नही किया है। अतः उक्त भूमि के बाबत आराजी मुतनाजा पर तथाकथित अलौटी व उनके खरीदारो को आराजी मुतनाजा के बाबत मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम करने के बाबत पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अन्यथा विपक्षी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवा कर आराजी मुतनाजा को खुर्द्दबुर्द्द कर देगे जिससे प्रार्थी को आर्थिक व मानसिक क्षति होगी जिसकी पूर्ति नही की जा सकेगी। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के ही पक्ष में है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि वे आराजी मुतनाजा के बाबत मौके व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे व रेवेन्यु रिकार्ड में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नही करे ।

अप्रार्थीगण संख्या 1 से 10 द्वारा बावजूद नोटिस तामिल होने के ना तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए ना ही जवाब प्रस्तुत किया गया है। जिनके विरूद्व दिनांक 12.4.2005 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, तथा मूल वाद के विचाराधीन रहते भूमि का विक्रय हो जाने से आदेशिका दिनांक 24.4.2009 के तहत

Scanned by CamScanner

केतागण को पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । जिसे आदेशिका दिनांक 13.7.2009 से स्वीकार किया जाकर पक्षकार संयोजित किया गया। जिस पर आदेशिका दिनांक 5.10.2009 के तहत अप्रार्थी संख्या 16 से 19 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, एवं अप्रार्थी संख्या 14 के विरूद्व आदेशिका दिनांक 19.5.2010 के तहत एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई शेष अप्रार्थीगण द्वारा पर्याप्त अवसर प्राप्त किये जाने के उपरान्त भी जवाब प्रर्थना पत्र प्रस्तुत नही किये जाने पर जवाब बन्द किया गया । जिस आदेश के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष निगरानी याचिका संख्या 2821/2010 प्रस्तुत की गई। जिसमें पारित आदेश दिनांक 16.8.2010 के तहत 2000 रूपये शास्ति पर जवाब प्रस्तुत किये जाने हेतु अन्तिम अवसर प्रदान किया गया। जिसके उपरान्त भी शेष अप्रार्थीगण द्वारा ना तो कोई अपना जवाब प्रस्तुत किया ना ही कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किये गये।

उभय पक्ष की सहमति से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पूर्व में पारित अंतरिम अस्थाई निषेघाज्ञा दिनांक 31.10.2008 को ताफैसला मूल वाद पुष्टि करते हुए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेघाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। जवाब में अप्रार्थी श्री रमजान के अधिवक्ता द्वारा मोखिक रूप से प्रार्थना पत्र के कथनों को इनकार करते हुए विवादित भूमि कस्टोडियन होने से प्रार्थना पत्र की सुनवाई का क्षेत्रिाधिकार राजस्व न्यायालय को नही होने से प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया ।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेज का सादर अवलोकन किया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत निम्न तीन बिन्दुओं का निर्धारण किया जाना आवश्यक है :–

प्रथम दृष्टया प्रकरणः– प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन पत्र में वर्णित कथनो को अपनी बहस में बताते हुए विशेष रूप से कथन किया कि विवादित भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 1709 कुल रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा ग्राम सोमलपुर जिसका हाल सेटिलमेंन्ट में नया नम्बर 1971 बना है जिसे प्रार्थी ने उक्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार चन्दा व रहिमा जो कि अप्रार्थीगण के पूर्वज है उनसे बटजरिऐ रजिस्र्डड बयनामा खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है किन्तु आराजी को गलत तौर पर बिना किसी आधार के कस्टोडियन भूमि दर्ज कर दिया गया है व इस गलत इन्द्राज के आधार पर कस्टोडियन विभान ने आराजी मुतनाजा को अलोट कर अलोटिगण व उनके खरीदारो के नाम दर्ज करने जा रहे है जबकि कस्टोडियन विभाग ने विधिवत तौर पर भूमि का आवंटन नही किया है। तथा मूल वाद के विचाराधीन रहते हुए धारा 52 सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के प्रावधानो का उल्लघंन कर भूमि का अवैध रूप

Scanned by CamScanner

से विक्रय किया गया है। साथ ही विवादित भूमि के सबंध में पटवारी हल्का द्वारा बिना किसी आधार के गेर कानूनी रूप से नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है। जिन तथ्यों की पुष्टि पत्रावली पर प्रस्तुत तहसीलदार अजमेर की रिपोर्ट से होती है। साथ ही विधि विरूद्व नामान्तकरण संख्या 233 दिनांक 9.4.2001 के विरूद्व श्रीमान् जिलाधीश महोदय अजमेर के समक्ष प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत की गई जिसे आदेश दिनांक 02.02.2018 के तहत स्वीकार कर उक्त नामान्तरकरण को निरस्त करते हुए दोनो पक्षकारान को नोटिस जारी कर सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए नवीन रूप से निर्णय किये जाने हेतु तहसीलदार अजमेर को आदेशित किया गया है। जिन तथ्यों के खण्डन में अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज एवं जवाब प्रस्तुत नही किया गया है। इस प्रकार गुणावगुण पर किसी प्रकार के टिप्पणी किये बिना प्रस्तुत अभिवचनो एवं दस्तावेजी साक्ष्य व निर्णय के तहत प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व होता है।

सुविधा का सन्तुलन व अपूणीय क्षति :– यह दोनों बिन्दु एक दूसरे से सवंधित होने से उनका निर्णय सयुक्त रूप से किया जा रहा है। जिसके तहत प्रार्थी विवादित भूमि का पूर्ववर्ती केता होकर तहसीलदार अजमेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक कब्जे काश्त में चला आ रहा है जबकि अप्रार्थी श्री रमजान द्वारा ना तो जवाब दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है एवं धारा 52 सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के प्रावधानो का उल्लंघन करते हुए भूमि को क्रय किया गया है। परन्तु विद्वान जिलाधीश महोदय अजमेर के आदेश दिनांक 02.02.2018 के तहत श्री रमजान के विकेतागण के हक में स्वीकृत नामान्तकरण को निरस्त कर दिया गया है। जिन विधिक आधारो को मूल वाद के तहत निर्णित किया जावेगा परन्तु पत्रावली पर प्रस्तुत अभिवचनो एवं साक्ष्य के तहत सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व होता है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा पंजीकृत दस्तावेज अथवा अन्य किसी आधार पर प्रार्थी के आधिपत्य में किसी प्रकार का दंखल कर भूमि का अन्तरण कर अन्यथा कोई निर्माण इत्यादि किया जाता है तो अपूणीय क्षति भी प्रार्थी को कारित होने की पूर्ण सम्भावना है साथ ही विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि मूल वाद के तहत विचारणीय विधिक बिन्दु निहित होकर निर्णित किया जाना शेष है तब तक प्रकरण की विषय वस्तु को सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है। इस प्रकार उपरोक्त तीनो ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्व होने से प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है ।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन एवं अपूणीय क्षति सिद्व होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 31.1.2008 की पुष्टि करते हुए उभय पक्ष को मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथा स्थिति

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Artika Shukla
Date: 2020.02.13 15:47:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: